

प्रपत्र-2

(नियम 24(1) देखें)

पंजीयन प्रमाण - पत्र

श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पंजीयन संख्या- D10008198/2016-17/_____/ भ०औ०अ०सन्नि०कर्म०

सत्यापन तिथि - 28/07/2016

कार्यालय उप/सहायक श्रमायुक्त, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए में प्रसु इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है :-

1. उस स्थान का डाक पता / अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है : प्लॉट न- जी.एच-०५ बी, सेक्टर-१६ बी, ग्रेटर नॉएडा
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है : श्री जावेद हुसैन, प्लॉट न- जी.एच-०५ बी, सेक्टर-१६ बी, ग्रेटर नॉएडा
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता : प्लॉट न- जी.एच-०५ बी, सेक्टर-१६ बी, ग्रेटर नॉएडा, प्लॉट न- जी.एच-०५ बी, सेक्टर-१६ बी, ग्रेटर नॉएडा
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाने हैं : कंस्ट्रक्शन वर्क
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या : 10
6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख : 01/09/2016 से 31/08/2021
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां :

निम्न कार्य के लिए

कंस्ट्रक्शन वर्क

प्रधान नियोजन का नाम व पता

में प्रसु इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० प्लॉट न- जी.एच-०५ बी, सेक्टर-१६ बी, ग्रेटर नॉएडा

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तरानीय होगा:

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या 10 से अधिक नहीं होगी:

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संदत्त की हई फीस अप्रतिदेय होगी !

(घ) भवन निर्माण संदत्त कर्मकारों के नियोजक द्वारा संज्ञेय मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

(1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें किसी करंट समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गयी हैं वह इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी !

(ङ) नियोजन अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा !

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी